4. स्व–रक्षा और ग्राम रक्षा के क्षेत्र में:–

(क) गाँव तथा उसमें उपलब्ध फसलों की देख रेख और स्वैच्छिक संगठनों अथवा इसी तरह के अन्य संगठनों का गठन, प्रोत्साहन और इन संगठनों को सहायता प्रदान करना;

(ख) स्व–रक्षा और ग्राम रक्षा के प्रयोजन के लिए गाँव के युवाओं को प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना और ऐसे प्रशिक्षण, जिसे सरकार द्वारा आयोजित किया जा सकता है, को सहायता प्रदान करना;

(ग) आग की रोकथाम, अग्निशमन में सहायता प्रदान करना और आग लगने के समय जीवन और माल की सुरक्षा करना ।

5. योजना और प्रशासन के क्षेत्र में :–

(क) गाँव के विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना;

(ख) राज्य सरकार के मृदा सुधार परियोजनाओं के क्रियान्वयन मे सहायता प्रदान करना;

(ग) बेरोजगारों के लिए रोजगार के प्रावधानों अथवा गाँव के बेरोजगार निवासियों के साथ गाँव का आर्थिक सर्वेक्षण करना;

(घ) बजट तैयार करना, लेखा का संकलन और रखरखाव करना, कोष की अभिरक्षा और उपयोग, करों का आकलन तथा संकलन और लेखा कोड का अनुरक्षण;

(ङ) गाँव के किसी भी प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता का उपयोग;

(च) गाँव का स्वतंत्र सर्वेक्षण करना अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा हाथ में लिए गए ऐसे सर्वेक्षण को सहायता प्रदान करना;

(छ) ग्राम परिषद द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन;

(ज) पशुशालाओं, खलिहानों, चरागाहों और सामुदायिक भूमि का नियंत्रण;

(झ) मेलों, तीर्थयात्राओं और उत्सवों की स्थापना, अनुरक्षण और नियमन

(त्र) ऐसी शिकायतों की रिपोर्ट उचित प्राधिकरण को देना जो ग्राम परिषद द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता हो ।

(ट) ग्राम परिषद रिकार्डों को तैयार करना, अनुरक्षण करना और बनाए रखना;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा बताई गई तरीको से जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण करना;

(ड) परिसरों का संख्या लगाना ।

6. सामुदायिक विकास के क्षेत्र में :–

(क) विकलागों, निराश्रितों और रोगियों को राहत;

(ख) आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों के सहकारी गतिविधियों का आयोजन, प्रोत्साहन तथा सहायता;

(ग) परिवार नियोजन का प्रचार;

(घ) सामुदायिक कार्यों और गाँव के उत्थान के कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रमिकों का गठन ।

7. कृषि, वन संरक्षण तथा चरागाह भूमि के क्षेत्र में :–

(क) कृषि का योजनाबद्ध विकास;

(ख) कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से गाँव में कृषि का न्यूनतम मानक स्तर बनाए रखना;

(ग) खाद संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना, मिश्रित खाद तैयार करना और खाद की बिक्री;

(घ) उन्नत बीजों का उत्पादन, उन्नत बीजों के संवर्धन केंद्रों की स्थापना और उन्नत बीजों के उपयोग को प्रोत्साहित करना ;